GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

Office Order No. 56 of 2018

Sub: Information about significant decisions and circulars to be shared with ADG(PR)

Attention is invited to instructions on above subject issued vide letter no. 2018/O&M/3/1 dated 05.03.2018 wherein it was desired that the advance intimation about events organised by/participated by Ministry of Railways may be given to ADG/PR or DIP for proper media coverage.

2. In addition to the existing instructions as per Board's letter dated 05.03.2018, it is also to be ensured that the significant decisions/circulars being posted on the website www.indianrailways.gov.in/railwayboard by different Directorates in Board's Office through C&IS Directorate may also be shared with ADG/PR at dpr@rb.railnet.gov.in. The ADG/PR may also be included in the standard mailing list of such communications in Board's Office.

3. The above issues with the approval of competent authority.

No. 2018/O&M/3/1
Dated: 21.05.2018

(H. Moharana)
Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office/Metro Bhawan, Pragati Maidan

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2018 का कार्यालय आदेश सं. 56

विषय: एडीजी (पीआर) के साथ महत्वपूर्ण निर्णयों और परिपत्रों की सूचना साझा करना।

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर दिनांक 05.03.2018 के पत्र सं. 2018/ओ एंड एम/3/1 के तहत जारी किए गए अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह वांछा की गई थी कि रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित/भाग लिए गए कार्यक्रमों की उचित मीडिया कवरेज हेतु एडीजी/पीआर अथवा डीआईपी को अग्रिम तौर पर सूचित किया जाए।

2. बोर्ड के दिनांक 05.03.2018 के पत्र के अनुसार मौजूदा अनुदेशों के अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बोर्ड कार्यालय के विभिन्न निदेशालयों द्वारा सी एंड आईएस निदेशालय के माध्यम से www.indianrailways.gov.in/railwayboard की वेबसाइट पर पोस्ट किए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णयों/परिपत्रों को एडीजी/पीआर के साथ dpr@rb.railnet.gov.in पर भी साझा किया जाए। बोर्ड कार्यालय के पत्राचार की मानक डाक सूची में एडीजी/पीआर को भी शामिल किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

एच. महाराणा
(एच. महाराणा)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. 2018/ओ एंड एम/3/1
दिनांक: 21.05.2018

बोर्ड कार्यालय/मेट्रो भवन, प्रगति मैदान के सभी अधिकारी और शाखाएँ।